# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
## पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नं. 2024/416
मुकदमा नम्बर 157/2024 दावा दर्ज दिनांक–03.09.2024

1. मनभरी पत्नी इन्द्राज
2. दलिप कुमार पुत्र इन्द्राज समस्त जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम देवगॉव फतेहसरी, डूडियों की ढाणी, तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू

–वादी

बनाम

1. मनोज कुमार पुत्र इन्द्राज
2. संदीप कुमार पुत्र इन्द्राज समस्त जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम देवगॉव फतेहसरी, डूडियों की ढाणी, तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू
3. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार नवलगढ, तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू

–प्रतिवादी

## दावा घोषणार्थ रिकार्ड दुरूस्ती

वकील वादी : – श्री सज्जन चाहर
वकील प्रतिवादी सं. 1 व 2 :– इकबालिया जरिये वकील श्री सुरेन्द्र भर्रा
प्रतिवादी सं. 3:– पैरो.राज.

**:: निर्णय ::** **निर्णय दिनांक 14.02.2025**

वादी वादी इस कदर पेश किया गया कि, ग्राम डूडियों की ढाणी पटवार हल्का देवगॉव नूँआ की सरहद में नई खाता सं. 85 पुराना खाता सं. 68 की भूमि खसरा नं. 212 रकबा 1.30 है0 के राजस्व रिकॉर्ड से हरकोरी देवी पत्नी सावंलराम का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जाकर वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 प्रत्येक को 1/4–1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

वाद वादी पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण की जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1 व 2 जरिये वकील उपस्थित हो इकबालिया जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादी सं. 3 की और से पैरो. राज. उपस्थित हो किसी प्रकार

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनू)

का एतराज/उजर पेश नही किया गया। वाद एक पक्षीय होने से श.वादी में शिवकुमार, मुखराम, रामेश्वरलाल,विजेन्द्र कुमार, संजय कुमार का मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र पेश किया गया।

बहस वकील वादी एक पक्षीय पेश होने पर बगौर सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

वाद वादी में वाद के साथ वादी का स्वंय का शपथ पत्र प्रस्तुत है, दस्तावेजों मे मृतक इन्द्राज पुत्र सांवलराम की मृत्यु तथा मृतका हरकोरी पत्नी सांवलराम की मृत्यु बाबत् सरपंच का प्रमाण पत्र प्रस्तुत है, जिस पर सरपंच की मोहर व हस्तारक्षर अंकित है, एक गोदनामा 10 रूपये नोन ज्युडिशियल स्टाम पर नोटेरी जयपुर से तस्दिक है, जमाबन्दी, विधुत बिल की प्रति, अन्य पहचान दस्तावेजात, इत्यादी पेश किये है। जिनसे यह जाहिर है कि,वादग्रस्त भूमि के खातेदार मनभरी (मृतका) व इसके पश्चात् इन्द्राज (मृतक) के वारिसान है। वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

## :: आदेश ::

लिहाजा वाद वादी आपसी सहमति का, पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है । ग्राम डूडियों की ढाणी पटवार हल्का देवगॉव नूॅआ की सरहद में नई खाता सं. 85 पुराना खाता सं. 68 की भूमि खसरा नं. 212 रकबा 1.30 है0 के राजस्व रिकॉर्ड से हरकोरी देवी पत्नी सावंलराम का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 प्रत्येक को 1/4-1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने तथा अमलदरामद के आदेश दिये जाते है। चूकी आदेश पक्षकारों की आपसी सहमति का इसलिये आदेश की पालना के लिये तहसीलदार नवलगढ को पृथक से तहरीर जारी की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 14.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला-झुझुंनू

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी )

**अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ**

**श्री जय सिंह ( आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.**

जीसीएमएस नं. 2024 / 416

मुकदमा नम्बर 157 / 2024 दावा दर्ज दिनांक–03.09.2024

1. मनभरी पत्नी इन्द्राज
2. दलिप कुमार पुत्र इन्द्राज समस्त जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम देवगॉव फतेहसरी, डूडियों की ढाणी, तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू

–वादी

बनाम

1. मनोज कुमार पुत्र इन्द्राज
2. संदीप कुमार पुत्र इन्द्राज समस्त जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम देवगॉव फतेहसरी, डूडियों की ढाणी, तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू
3. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार नवलगढ, तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू

–प्रतिवादी

## <u>दावा घोषणार्थ रिकार्ड दुरूस्ती</u>
## (डिकी)

**यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू श्री जय सिंह ( आर0ए0एस0),उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब– मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।**

वाद वादी आपसी सहमति का, पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है । ग्राम डूडियों की ढाणी पटवार हल्का देवगॉव नूँआ की सरहद में नई खाता सं. 85 पुराना खाता सं. 68 की भूमि खसरा नं. 212 रकबा 1.30 है0 के राजस्व रिकॉर्ड से हरकोरी देवी पत्नी सावंलराम का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 प्रत्येक को 1/4–1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने तथा अमलदरामद के आदेश दिये जाते है। चूकी आदेश पक्षकारों की आपसी सहमति का इसलिये आदेश की पालना के लिये तहसीलदार नवलगढ को पृथक से तहरीर जारी की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ ( झुंझुनूं )

जन...........–............... मुबलिग...........–............बाबत......–...........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह... ...–............फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.............का अदा करे।

बस्वत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 14 माह 02 सन 2025 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़

| मुद्दई | रूपया पैसे | मुद्दासलह | रूपये पैसे |
|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | 02.00 | स्टाम्प अर्जी दावा | 0.00 |
| वकालतनामा स्टाम्प | 01.00 | स्टाम्प वकालतनामा | 1.00 |
| स्टाम्प वजह सबूत | – | स्टाम्प अर्जी | – |
| महनताना वकील | – | महनताना वकील | – |
| खर्चा गवाहान | – | खर्चा गवाहान | – |
| फीस कमिश्नर | – | फीस कमिश्नर | – |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | – | बाबत इजराय हुक्मनामा | – |
| मुतफरिक मिजान | 0.00 | मुतफरिक मिजान | 0.00 |